भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
26.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 610 का उत्तर

लोको-पायलटों की कार्य स्थितियाँ

610 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय रेलवे में लोको-पायलटों के लम्बी अवधि तक काम करने और खराब कार्य स्थितियों से अवगत है, जो हाल के वर्षों में रेल दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा लोको-पायलटों के काम करने की अवधि को सीमित करने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) लोको-पायलटों की कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और ऐसी सिफारिशों के अनुसार नियमों और विनियमों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

s.k

लोको-पायलटों की कार्य स्थितियाँ के संबंध में दिनांक 26.07.2024 को राज्य सभा में श्री मल्लिकार्जुन खरगे के अतारांकित प्रश्न सं. 610 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण**।

(क) से (ग):

1. लोको पायलट भारतीय रेल परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो यात्री और माल यातायात के सुरक्षित और कुशल तरीके से संचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल लोको पायलटों के लिए उचित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. लोको पायलटों को निरंतर कोटि में वर्गीकृत किया गया है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 132 (2) के अनुसार, निरंतर कोटि के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चौदह दिनों की द्विसाप्ताहिक अवधि में औसतन 54 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई है।

"कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि" (एचओईआर), 2005 के नियम 8 में, लोको पायलटों के लिए प्रति सप्ताह चौदह दिनों की द्विसाप्ताहिक अवधि में औसतन 52 घंटे की ड्यूटी के दिशानिर्देश निर्धारित हैं, अर्थात् लोको पायलटों के लिए कार्य के घंटे भारतीय रेल के अन्य "निरंतर" कोटि के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 54 घंटे से कम हैं। लोको पायलटों को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 132 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए भी प्रतिकर दिया जाता है।

3. लोको पायलटों को मुख्यालय विश्राम, आउट स्टेशन विश्राम और आवधिक विश्राम निम्नानुसार दिए जाते हैं:

मुख्यालय विश्राम

रेल अधिनियम, 1989 के नियम 133 के अनुसार जब रनिंग स्टाफ सदस्य अपने मुख्यालय पहुँच जाता है तो उसे 16 घंटे का मुख्यालय विश्राम दिया जाता है और 30 घंटे या 22 घंटे (जब भी देय हो) का आवधिक विश्राम प्रदान किया जाता है। चूँकि आवधिक विश्राम भी एक मुख्यालय विश्राम है, इसलिए 16 घंटे के मुख्यालय विश्राम की आवश्यकता आवधिक विश्राम के दौरान पूरी हो जाती है।

s.k

आउट स्टेशन विश्राम

जब कोई ड्राइवर अपनी बाहरी यात्रा पूरी करता है तो उसे तब भी आउट स्टेशन विश्राम दिया जाता है और यह निम्नानुसार है:-

कार्य के घंटे	विश्राम
5 घंटे से कम ड्यूटी के लिए	निष्पादित ड्यूटी के घंटों के बराबर + 1 घंटे
5- 8 घंटे की ड्यूटी के लिए	6 घंटे
8 घंटे या उससे अधिक ड्यूटी के लिए	8 घंटे

आवधिक विश्राम

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 133 और काम के घंटे और विश्राम की अवधि, 2005 के नियम 12 में रनिंग कर्मचारियों के आवधिक विश्राम के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनमें निर्धारित किया गया है कि रनिंग कर्मचारियों को प्रत्येक माह, कम से कम पांच अवधियों के लिए विश्राम दिया जाए, जो निरंतर कम से कम बाईस घंटे से कम न हो, अथवा कम से कम चार अवधियों में से प्रत्येक में एक पूरी रात सहित निरंतर तीस घंटे से कम न हो।

4. हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, 2016 में लोको पायलटों के ड्यूटी घंटे कम कर दिए गए थे। इन सिफारिशों के अनुसार, साइन ऑन टू साइन ऑफ ड्यूटी को 10 घंटे से कम करके 9 घंटे कर दिया गया था और 10+2 घंटे की ड्यूटी को कम करके 9+2 घंटे कर दिया गया था।

5. लोको पायलटों के कार्य के घंटों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। अत्यावश्यकताओं को छोड़कर, कार्य के घंटे बनाए रखे जाते हैं।

6. लोको रनिंग कर्मीदल की कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाने के लिए, रनिंग कक्ष के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- सभी 558 रनिंग रूम वातानुकूलित कर दिए गए हैं।
- रनिंग कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विश्राम के लिए योग और ध्यान कक्ष, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ वाचनालय की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- लोको पायलटों को विमानों और सड़क वाहनों के विपरीत रेलपथों और सिगनलों पर निरंतर निगरानी रखनी होती है जिसमें वाहन चलाते समय रेलइंजन में लंबे समय तक खड़े रहना शामिल होता है। इसलिए लोको पायलटों को समुचित विश्राम देने के लिए रनिंग कक्ष में फुट मसाजर आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

s.k

- रनिंग कक्षों में किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन की व्यवस्था।
- रनिंग कक्षों में आरओ वाटर फिल्टर की उपलब्धता।

7. इसके अलावा, लोको रनिंग कर्मीदल की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम और पहल निम्नानुसार हैं:

- लोको पायलटों की बेहतर सुविधा के लिए बेहतर सीटों और ड्राइवर डेस्क जैसी एर्गोनोमिक कर्मीदल अनुकूल डिजाइन विशेषताएं मुहैया कराई गई हैं। वर्ष 2014 से इन सुविधाओं के साथ 7,286 थ्री फेज लोको विनिर्मित किए गए हैं, जबकि 2014 से पहले केवल 719 रेल इंजनों का ही विनिर्माण किया गया था।
- वर्ष 2017-18 से सभी नए रेलइंजनों में वातानुकूलित कैब उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक 7,000 से अधिक रेलइंजनों में एयर कंडीशनर उपलब्ध कराए गए हैं।
- लोको पायलट के सतर्क न रहने की परिस्थिति में, लोको पायलटों को सतर्क करने के लिए प्रौद्योगिकीय सहायक उपकरण के तौर पर सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं। 2014 से, 12,000 से अधिक (10,521 बिजली + 1,873 डीजल) रेलइंजनों में वीसीडी उपलब्ध कराया गया है।
- लोको पायलटों को तकनीकी सहायक उपकरण के तौर पर पोर्टेबल जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस (एफएसडी) प्रदान किया जा रहा है ताकि आने वाले सिगनलों और महत्वपूर्ण लैंडमार्क के नाम और उनकी दूरी का पता लगाया जा सके। 2014 से, भारतीय रेल में 21,742 अदद एफएसडी उपलब्ध कराए गए हैं।
- लोको पायलटों के ड्राइविंग कौशल और प्रतिक्रिया समय में सुधार लाने के लिए सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है और सिमुलेटर प्रशिक्षण सुविधा में वृद्धि की जा रही है।
- चालक दल की सुविधा के लिए 'चालक दल' नामक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। ऐप को 2023 में संशोधित किया गया है, ताकि चालक दल को रनिंग ड्यूटी, साइन ऑन/साइन ऑफ, लोको ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी और रेलगाड़ी परिचालन के दौरान अपेक्षित अन्य दस्तावेजों, जिन्हें अन्यथा हार्ड कॉपी में ले जाना होता था, से संबंधित अपनी सारी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
- रनिंग कर्मचारियों की सतर्कता और संरक्षा संबंधी जागरूकता की जांच के लिए विभिन्न संरक्षा अभियान और विशेष परामर्श कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। रनिंग कर्मचारियों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण विश्राम की भूमिका के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए रनिंग कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के साथ संवाद हेतु विशेष संरक्षा संगोष्ठियां और बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
- रनिंग कर्मचारियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें परामर्श देने हेतु नियमित रूप से विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

s.k